विशिष्ट दिव्यांगता आईडी (यूडीआईडी) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता के लिए दिशानिर्देश

1. पृष्ठभूमि

1.1 सरकार दिव्यांगजनों के संबंध में जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर है। जनगणना के आंकड़े देश भर में घरेलू सर्वेक्षण पर आधारित हैं। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जो उन दिव्यांगजनों की संख्या को दर्शाता हो जिन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया गया हो । इसके अलावा अधिकांश राज्य मैन्युअल रूप से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी कर रहे थे। इस प्रकार, दिव्यांगजनों के रियल टाइम डेटा को दर्शाने की कोई प्रणाली नहीं है।

1.2 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर ही मान्य था। दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता के सत्यापन और देश भर में सार्वभौमिक स्वीकृति की कोई प्रणाली नहीं थी ।

1.3 उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगों का राष्ट्रीय डाटा बेस बनाने और दिव्यांगता प्रमाण पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) परियोजना को लागू करने का निर्णय लिया गया।

1.4 यूडीआईडी परियोजना बाद में कार्यान्वयन के पदानुक्रम के सभी स्तरों - गांव, ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर लाभ वितरण की वास्तविक (फिजिकल) और वित्तीय प्रगति को पता लगाने में मदद करेगी। इससे पारदर्शिता, दक्षता और दिव्यांगजनों को सरकारी लाभ पहुंचाने में आसानी भी होगी। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए बनी योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभाग और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यूडीआईडी मददगार होगा। यूडीआईडी कार्ड के एपीआई लिंक को उनके सेवा वितरण तंत्र के साथ जोड़ने के लिए सभी कार्यान्वयन प्राधिकरणों के साथ मानक प्रक्रिया के अनुसार साझा किया जा सकता है।

1.5 डेटा बेस में अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्तिगत विवरण, पहचान विवरण, दिव्यांगता विवरण (दिव्यांगता का प्रकार, दिव्यांगता का क्षेत्र, दिव्यांगता की प्रतिशतता आदि), शिक्षा विवरण, रोजगार विवरण (स्थिति, व्यवसाय, बीपीएल/एपीएल, आय आदि), दिव्यांगता प्रमाण पत्र विवरण, मतदाता पहचान पत्र और व्यक्ति/माता-पिता/अभिभावक आदि के अन्य आईडी प्रमाण, और यूडीआईडी नवीकरण/पुनः जारी/कार्ड सरेंडर विवरण को दर्शाना शामिल है।

1.6 यूडीआईडी परियोजना के लिए एनआईसीएसआई के एक पैनलबद्ध वेंडर के माध्यम से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था और इसे मई, 2016 में एनआईसी क्लाउड पर होस्ट किया गया था। दिनांक 18.05.2016 को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑनलाइन किया गया और पहला यूडीआईडी कार्ड मध्य प्रदेश के दतिया में दिनांक 27.01.2017 को बनाया गया था। एनआईसीआई के माध्यम से नियोजित वेंडर के जरिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एएमसी भी की जाती है।

1.7 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी जिला स्तर के पदाधिकारियों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण दिया गया था।

1.8 उल्लेखनीय है कि आरपीडब्ल्यूडी विधेयक संसद में दिनांक 07.02.2014 को पेश किया गया था। इसलिए, यूडीआईडी परियोजना को अंतिम रूप देते समय आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के तहत शामिल की गई दिव्यांगताओं को ध्यान में रखा गया था। इसलिए, यूडीआईडी

पोर्टल आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत शामिल की गई दिव्यांगताओं की सभी श्रेणियों का ध्यान रखता है।

1.9 विभाग प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर चयनित विशिष्ट दिव्यांगता आईडी कार्ड के मुद्रण और प्रेषण के लिए एजेंसी को भी नियोजित करता है। शुरुआत में यूडीआईडी कार्ड को साधारण पोस्ट के माध्यम से प्रिंटर द्वारा फ्रैंकिंग मशीन के प्रयोग के जरिए 5 रुपये प्रति कार्ड की दर से संबंधित पीडब्ल्यूडी को उनके पते पर भेजने का निर्णय लिया गया था। अब कार्ड की ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्ड भेजने हेतु विचाराधीन है।

1.10 दिनांक 1 जून, 2021 से दिव्यांगता प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से जारी करने की अधिसूचना 5 मई, 2021 को जारी की गई है।

1.11 दिनांक 11.04.2021 की स्थिति के अनुसार, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 715 जिलों में परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है और 70.88 यूडीआईडी कार्ड तैयार किए गए हैं।

2. उप-योजना के दिशा-निर्देशों के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(i) सर्वर आवश्यकता सहित यूडीआईडी परियोजना के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रखरखाव/अपग्रेडेशन की लागत को पूरा करना।

(ii) स्पीड पोस्ट द्वारा या अन्यथा विभाग के निर्णय के अनुसार यूडीआईडी कार्ड की प्रिंटिंग के लागत और प्रेषण के लागत को पूरा करना।

(iii) यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए विभागीय स्तर पर परियोजना मॉनिटरिंग इकाई स्थापित करना।

(iv) निम्नलिखित के लिए परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना:-

क. प्रचार और जागरूकता गतिविधियां आयोजित करना।

ख. प्रत्येक प्रमाणन चिकित्सा प्राधिकारी के लिए आईटी अवसंरचना की खरीद (एक कंप्यूटर डेस्कटॉप, आधार अधिप्रमाणन के लिए चार बायोमेट्रिक सिंगल फिंगर स्कैनर, स्कैनर के साथ एक साधारण प्रिंटर, और एक वेब कैमरा)।

ग. प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक राज्य स्तरीय समन्वयक का पारिश्रमिक।

घ. यूडीआईडी पोर्टल में दिव्यांगता के पुराने मैनुअल प्रमाण पत्र का डिजिटलाइजेशन।

3. लक्ष्य

पिछली जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन शामिल हैं:-

क. दृष्टि दिव्यांगता
ख. श्रवण दिव्यांगता
ग. वाक् दिव्यांगता
घ. लोकोमोटर दिव्यांगता
ङ. मानसिक मंदता
च. मानसिक रोग
छ. कोई अन्य

दिव्यांगजनों की संख्या को बाद की जनगणना के आंकड़ों या अन्य अनुमोदित सर्वेक्षणों के आधार पर संशोधित किया जाएगा। अब तक, प्लास्टिक क्यूआर कोड यूआईडी कार्ड बेंचमार्क दिव्यांगजनों (अर्थात् 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता) वाले व्यक्तियों को जारी किए जा रहे हैं।

4. कार्यान्वयन एजेंसी

3.1 डीईपीडब्ल्यूडी सॉफ्टवेयर के रखरखाव या अपग्रेडेशन, यूडीआईडी कार्ड की प्रिंटिंग और विभाग में पीएमयू की स्थापना के संबंध में कार्यान्वयन एजेंसी होगी। विभाग सॉफ्टवेयर के रखरखाव/ अपग्रेडेशन, यूडीआईडी कार्ड की प्रिंटिंग के लिए एजेंसियों को नियोजित कर सकता है।

3.2 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण से संबंधित विभाग आवेदनों की प्रोसेसिंग और यूडीआईडी कार्ड प्रदान करने, पुराने मैनुअल प्रमाण पत्रों के डिजिटाईजेशन, प्रचार गतिविधियों, राज्य समन्वयकों की नियुक्ति और आईटी अवसंरचना की खरीद के संबंध में कार्यान्वयन एजेंसी होगा ।

5. वित्तीय सहायता की सीमा

घटकवार वित्तीय सहायता निम्नानुसार होगी :-

घटक	सहायता की सीमा
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का रखरखाव/ अपग्रेडेशन	समय-समय पर जारी किए जाने वाले कार्य आदेश के अनुसार
यूडीआईडी कार्ड की प्रिंटिंग और प्रेषण	समय-समय पर जारी किए जाने वाले कार्य आदेश के अनुसार
पीएमयू के कर्मचारियों का पारिश्रमिक	समय-समय पर जारी किए जाने वाले कार्य आदेश के अनुसार
प्रचार	○ 20 लाख की आबादी से अधिक वाले प्रत्येक जिले के लिए 2.5 लाख रुपये ○ 10 लाख से अधिक परंतु 20 लाख से कम आबादी वाले प्रत्येक जिले के लिए 2.0 लाख रुपये ○ 10 लाख से कम आबादी वाले प्रत्येक जिले के लिए 1.5 लाख रुपये
आईटी अवसंरचना	प्रति प्रमाणन प्राधिकारी अधिकतम 1 लाख रुपये
राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	अधिकतम 50,000 रुपये प्रति माह प्रति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
दिव्यांगता के मैनुअल प्रमाण पत्र का डिजिटाइजेशन	3.61 रुपये प्रति प्रमाण पत्र

6. घटकवार भुगतान शर्तें

घटक	भुगतान अवधि
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का रखरखाव/अपग्रेडेशन	कार्य आदेश के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
यूडीआईडी कार्ड की प्रिंटिंग और डिस्पैच	• यूडीआईडी कार्ड की प्रिंटिंग के संदर्भ में बिल/वाउचर प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिपूर्ति के आधार पर भुगतान किया जाएगा। • रसीद जमा करने पर वास्तविक आधार पर प्रेषण लागत का भुगतान।
पीएमयू के कर्मचारियों का पारिश्रमिक	कार्य आदेश के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
प्रचार	○ राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को 50% अग्रिम। ○ पहली जारी राशि के उपयोग प्रमाण पत्र जमा करने पर शेष 50%.
आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर	अग्रिम में एक किस्त।
राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	अर्धवार्षिक आधार पर राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को अग्रिम रूप से भुगतान जारी किया जाएगा।
दिव्यांगता के मैनुअल प्रमाण पत्र का डिजिटाइजेशन	○ राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को 50% अग्रिम। ○ पहली जारी राशि के उपयोग प्रमाण पत्र जमा करने पर शेष 50%.

घटक-वार/वर्ष-वार प्रस्तावित अनुमानित (नोशनल) आवंटन निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)						
घटक	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	2.00
जनशक्ति सेवा	3	3.3	3.63	3.99	4.42	18.34
आईटी अवसंरचना	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	1.1
डिजिटलीकरण	0.4	0.9	0.9	0.9	0.9	4.00
स्मार्ट तकनीक	2	4.9	5.4	5.8	6.4	24.5
विज्ञापन	2.00	2.2	2.4	2.8	3.1	12.5
विविध	1.00	1.32	1.56	1.83	2.22	7.93
कुल	9.00	13.27	14.49	15.97	17.64	70.37

7. अन्य सामान्य निबंधन और शर्तें

क. राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को नवीनतम जनगणना और अन्य अपेक्षित विवरणों के अनुसार दिव्यांगजनों की संख्या से संबंधित आंकड़ों के साथ-साथ प्रचार गतिविधि, अवसंरचना की आवश्यकता और दिव्यांगता के मैनुअल प्रमाण पत्रों के डिजिटलीकरण के लिए अपनी आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है ।

ख. राज्य कार्यान्वयन एजेंसी आईटी अवसंरचना की खरीद के लिए तथा प्रचार और डिजिटलीकरण गतिविधि शुरू करते समय भी अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लागू वित्तीय नियमों का पालन करेगी ।

ग. अनुबंध में उल्लिखित विनिर्देश तकनीकी विनिर्देश हैं और तेजी से तकनीकी प्रगति के कारण समय के साथ बदल सकते हैं।

घ. राज्य समन्वयक यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन पर मासिक प्रगति रिपोर्ट डीईपीडब्ल्यूडी को प्रस्तुत करेगा।

ङ. राज्य कार्यान्वयन एजेंसी इस योजना के तहत प्राप्त निधियों के संबंध में यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य से अलग लेखा बनाए रखेगी। केंद्र सरकार द्वारा ऑडिट के लिए उक्त लेखा, यदि आवश्यक हो, खुला रहेगा।

च. राज्य कार्यान्वयन एजेंसी दी गई समय सीमा के भीतर प्रत्येक घटक के लिए जारी प्रत्येक निधि के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी।

छ. राज्य कार्यान्वयन एजेंसी उप-योजना के तहत खरीदे गए आईटी अवसंरचना का उचित रिकॉर्ड बनाए रखेगी और इन उपकरणों के उचित रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी। ये रिकॉर्ड मंत्रालय द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए भी खुले रहेंगे।

ज. राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किए गए सभी खर्च वाउचर/बिलों पर आधारित होंगे और इस संबंध में उनके द्वारा उचित रिकार्ड बनाए रखे जाएंगे ।

झ. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रखरखाव एजेंसी किसी भी तकनीकी मुद्दे को यथासंभव कम से कम समय के भीतर ठीक करने के लिए जिम्मेदार होगी।

ञ. विगत वर्ष के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रखरखाव एजेंसी को निधियां जारी की जाएँगी।

ट. मुद्रण एजेंसी यूडीआईडी कार्डों की प्रिंटिंग और प्रेषण का उचित रिकॉर्ड बनाए रखेगी जो इस मंत्रालय द्वारा सत्यापन के लिए खुला होगा।

ठ. प्रिंटिंग एजेंसी डेटा की गोपनीयता और कार्ड की सुरक्षा विशेषताओं को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगी ।

*****

अनुबंध-I

क्र.सं.	मद	विनिर्देशों
1	डेस्कटॉप कंप्यूटर	क. इंटेल आई5 कोर प्रोसेसर ख. 500 जीबी हार्ड डिस्क साता ग. 4 जीबी रैम डीडीआर-III घ. 17 "मॉनिटर या अधिक ङ. प्रामाणिक विंडो 7 या उससे अधिक च. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रामाणिक और लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए
2	प्रिंटर सह स्कैनर	प्रिंटर सह स्कैनर ए4 या लीगल आकार का होना चाहिए तथा मुद्रण और स्कैनिंग की क्षमता डुप्लेक्स और लेजरजेट और कम से कम 18 पीपीएम होनी चाहिए।
3	वेब कैमरा	वेबकैमरा उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ़्टवेयर के अनुकूल होना चाहिए।
4	बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट स्कैनर	बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट स्कैनर उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर के अनुकूल होना चाहिए।

विषय : यूडीआईडी परियोजना के तहत राज्य समन्वयक की नियुक्ति ।

राज्य के प्रधान सचिव, जो समाज कल्याण/दिव्यांगजनों से संबंधित कार्य देख रहे हैं, पारदर्शिता प्रक्रिया के माध्यम से राज्य समन्वयक के चयन और नियुक्ति के लिए प्राधिकृत हैं। राज्य समन्वयक की नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यताएं और अन्य शर्तें इस प्रकार है :-

<u>शैक्षिक योग्यता :</u>

i. मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/आईटी में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र/पाठ्यक्रम सहित स्नातक

या

कम्प्यूटर शिक्षा में स्नातक

ii. प्रख्यात प्रतिष्ठानों/कंपनी में सूचना प्रौद्योगिकी/ कम्प्यूटर में कार्य के अनुभव वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

<u>आयु सीमा</u>

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकारी द्वारा आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख को ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए।

<u>भाषा</u>

राज्य समन्वयक को अंग्रेजी और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में निपुण होना चाहिए।

<u>पारिश्रमिक</u>

राज्य समन्वयक के देय पारिश्रमिक/शुल्क के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र सरकार द्वारा प्रति माह 50,000/- रूपये (पचार हजार रूपए) तक एकमुश्त राशि प्रतिपूर्ति की जाएगी जिसमें यूडीआईडी परियोजना के संबंध में उस राज्य में उनके द्वारा किए गए दौरे के लिए टीए/डीए आदि शामिल होगा ।

राज्य को छह माह की पारिश्रमिक के समतुल्य निधि अग्रिम में भुगतान की जाएगी। छह माह की पारिश्रमिक की अगली निधि उस उद्देश्य के लिए राज्य को जारी पिछली निधि की यूसी प्राप्त होने पर जारी की जाएगी।

<u>नियुक्ति की अवधि</u>

प्रारंभ में 6 माह की अवधि के लिए और इसे तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। डीईपीडब्ल्यूडी बिना किसी सूचना के राज्य समन्वयक की सेवा को समाप्त कर सकता है।

केंद्र सरकार राज्य की तैयारी और रोल आउट योजना को ध्यान में रखते हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को राज्य समन्वयक को नियुक्त किए जाने की तारीख के बारे में सूचित करेगा।

<u>राज्य समन्वयकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां</u>

i. परियोजना के कार्यान्वयन में राज्य के संबंधित सभी विभागों और विभाग में यूडीआईडी परियोजना के परियोजना प्रबंधन इकाई के बीच समन्वय करना।

ii. परियोजना की प्रगति की मॉनिटरिंग करना, परियोजना की समयसारणी का रखरखाव करना और राज्य में इस परियोजना के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करना।

iii. राज्य के प्रत्येक गांव/ब्लॉक/जिलों से आंकड़े/सूचना एकत्रित करने और विश्लेषण करने के माध्यम से परियोजना की स्थिति रिपोर्ट तैयार करना और इसे राज्य के प्रधान सचिव (समाज कल्याण विभाग)/यूडीआईडी परियोजना के प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करना और एक प्रति विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी)) को जमा करना।

iv. दिव्यांगजनों के नामांकन/मूल्यांकन के लिए आयोजित शिविरों जो जिला प्रशासन के उचित सहयोग से आयोजित किए जाते हैं, में राज्य सरकार की सहायता करना।

v. इस परियोजना को लागू करने में उत्पन्न हो रही किसी भी मुख्य मुद्दों को राज्य स्तर के नोडल प्राधिकारी /प्रभारी अधिकारी और केंद्र के संज्ञान में लाना।

vi. यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन में संबंधित राज्य द्वारा उन्हें सौंपे गए किसी अन्य भूमिकाओं/जिम्मेदारियों को करना।

vii. राज्य समन्वयक सामाजिक न्याय/दिव्यांगताओं से संबंधित उस राज्य के प्रधान सचिव को रिपोर्ट करेंगे। उनकी नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर होगी (100 प्रतिशत भागीदारी)।

viii. सामाजिक कल्याण/दिव्यांगताओं से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रधान सचिव राज्य समन्वयक लॉजिस्टिक्स सहायता प्रदान करेंगे ।